राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः सीडी/बाढ़/10/ 494 दिनांकः 08-06-2010

समस्त संयुक्त निदेशक-जोन
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः- **अतिवृष्टि एवं बाढ़ सहायता हेतु चिकित्सा सुविधा बाबत दिशा निर्देश।**

राज्य के पश्चिम राजस्थानी जिलों में भारी वर्षा की सम्भावनाओं को देखते हुये आगामी बरसात के मौसम में अतिवृष्टि के कारण मौसमी एंव जलजनित बिमारियों से प्रभावित आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाये समय पर उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से प्रदान किये जाते है :-

नियंत्रण कक्ष की स्थापना :

- जिला/खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष को सुदृढ करते हुये प्रभावी मॉनिटरिगं की व्यवस्था की जाकर दैनिक/त्वरित सूचना राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जावें।
- रेपिड रेस्पोन्स टीम/मोबाईल टीम आवश्यक औषधियो सहित तैयार रखी जावे। जलजनित रोगों जैसे हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा सम्बन्धी बिमारियों, आई-फ्ल्यू, फूड पॉयजनिक आदि के इलाज हेतु आवश्यकता पड़ने पर गठित टीम को प्रभावित क्षेत्र में तुरन्त प्रस्थान करने हेतु रोगी वाहन, मयवाहन चालक के तैयार रखी जावे।

जल शुद्धिकरणः

- बाढ एवं अतिवृष्ठि के कारण पेयजल दूषित होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जलशुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर /क्लोरीन का भण्डारण पर्याप्त मात्रा में रखा जावें।
- जलदाय विभाग (PHED) के सहयोग से सघन अभियान चला कर पानी की जाचॅ हेतु नियमित नमूनीकरण एंव जलशुद्धिकरण की कार्यवाही की जावें।
- सार्वजनिक स्थानों/राजकीय संस्थानों में पेयजल आपूर्ति किये जाने वाले जल स्त्रोंतों का नियमित जल शुद्धिकरण करवाया जावें।
- पेयजल आपूर्ति की जाने वाली पाईप-लाईनों की जाचॅ की जाकर लीकेज तुरन्त ठीक करवाने की कार्यवाही जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के समन्वय से करवाई जावें।
- पानी की जाचॅ हेतु लिये गये नमूनों में असंतोषप्रद पाये पेयजल स्त्रोंतो का सूपर-क्लोरिनेशन कराते हुये, शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय एंव जलदाय विभाग के सहयोग से की जावें।

औषधियों की उपलब्धताः

- सभी चिकित्सा सस्थाानों में जीवन रक्षक औषधियां, ए.आर.वी. वैक्सीन, एन्टी-स्नेक वीनम, चर्मरोग के लिये बैन्जाईल बेन्जोएट, आई ड्रोप/ऑइन्टमेन्ट, ओ.आर.एस., आईवी फ्ल्यूड्स, ड्रीपसेट आदि की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।
- स्थानीय चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार हेतु वार्ड में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था की जावें।
- एन्टीलार्वल यथा टेमीफोस, एमएलओं आदि एंव फोकल स्प्रे हेतु पायरेथ्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

एन्टीलार्वा गतिविधियां :

- मलेरिया की रोकथाम हेतु पीने के पानी के टांको में टेमिफोस डलवायें, वर्षा से एकत्रित पानी में एमएलओं तथा गम्बूशिया मछलियां डलवाना सुनिश्चित करें।

मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथामः

- स्थानीय क्षेत्रों में मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथाम हेतु नियमित नमूनीकरण कार्य करवाया जावें।
- सडे गले फलों, सब्बजियों आदि को बिकी से रोका जाकर नष्ट करवाया जावें।

प्रचार प्रसार एंव स्वास्थ्य शिक्षा :

- जन साधारण को किसी भी बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए बाढ़, अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान जन साधारण को इनसे होने वाली बीमारियों की जानकारी, बचाव एवं उपचार के संबंध में प्रचार–प्रसार के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दी जावे।
- सूचनाँ एवं संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों के नाम, पते एवं टेलीफोन नम्बर जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध रहने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे वांछित सहयोग प्राप्त कर सके।

अन्य सामान्य निर्देश एंव समन्वय:

- अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किये जाने हेतु निर्देशित पूर्व में ही प्रसारित कर दिये गये है, जिनकी पालना कढाई से सुनिश्चित करवाई जावें। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। असाधारण परिस्थितियों में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी स्वःविवेक पर पैरामेडिकल स्टाफ को वैकल्पिक व्यवस्था करते हुये अवकाश दे सकेगें।
- आपदा स्थिति उत्पन्न होने पर आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाऐं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने हेतु जिला–प्रशासन (जिला कलेक्टर) से तुरन्त सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- सभी जिला/खण्ड एंव सभी प्रभारी अधिकारी चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया जावे कि वे बाढ एंव अतिवृष्टि की स्थिति सें पूर्णतया सतर्क रहें, तथा इस दौरान वे अपने अपने क्षेत्र के प्रशासनिक एंव जन प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखें।
- समस्त संयुक्त निदेशक–जोन सम्बन्धित संभागीय आयुक्त से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे, जिससे आवश्यकता पडने पर जनता को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु अन्य जिलों से चिकित्सक, नर्सिगं एंव पैरामेडिकल स्टाफ आदि सेवायें दी जा सके।

उपरोक्त निर्देशों की पालना कडाई से की जाकर आप द्वारा की गई कार्यवाही की दैनिक सूचना सलंग्न रिपोर्टिगं फोरमेट में राज्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0141–2225624 एवं फैक्स नम्बर 0141–2229858, 2224831 पर दी जावे।

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव,

क्रमांक: सीडी/बाढ/10/ 494 दिनांक: 08–06–2010

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक (प.क./एड्स/आई.ई.सी.), निदेशालय, मुख्यालय।
9. राज्य नियंत्रण कक्ष/सर्वर रूम, मुख्यालय।
10. गार्डफाईल/रक्षित पत्रावली।

(डा0 एम0एल0 जैन) 8/6/10
निदेशक (ज़न स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

बाढ प्रभावित क्षेत्र की दैनिक रिपोर्ट

जिला : दिनांक:

क0सं0	विवरण	
1	जिले में कुल गांवों की संख्या	
2	कुल बाढ प्रभावित गांवों की संख्या	
3	जिले में कुल गठित मोबाईल दलों की संख्या	
4	मोबाईल दलों से प्राप्त रिपोर्ट	
5	मोबाईल दलों द्वारा भ्रमण किये गये गांवों की संख्या	
6	पाये गये कुल रोगियों की संख्या	
	ए– पीलिया	
	बी– दस्त	
	सी– उल्टी	
	डी– उल्टी–दस्त	
	ई– खाज–खुजली	
	एफ– आई–फ्ल्यू	
	जी– अन्य रोगी	
	एच– बुखार के रोगी	
	आई– ली गई रक्त पट्टिकाऐं	
7	कुल गड्डों एंव जल स्त्रोंतो की संख्या	
	ए– टेमीफोस डाला गया	
	बी– जला हुआ तेल डाला गया (MLO)	
	सी– गम्बूसिया मछलियां डाली गई, के स्थानों की संख्या	
8	औषधियों की स्थिति	
9	जल शुद्धिकरण किये गये जल स्त्रोंतो की संख्या	